चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2747
दिनांक : 29.12.2016

संशोधित सम्बद्धता आदेश

कृपया विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/1668 दिनांक 14.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा **सी0ई0आर0टी0 कालेज ऑफ लॉ, ग्राम–डूंगरावली परगना व तहसील व जिला–मेरठ** को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **एल–एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन एफ0डी0आर0 संस्थान के नाम होने एवं बंधक शब्द अंकित न होने, प्रबन्ध समिति, प्राचार्य व शिक्षकों का अनुमोदन एवं अग्निशमन का अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न न होने एवं रु0 20 के शपथ पत्र पर फोटो चस्पा न होने के दृष्टिगत **दिनांक 01.07.2016 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान की गयी थी। मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 29.12.2016 के अनुपालन में संस्थान को **दिनांक 01.07.2016 के स्थान पर दिनांक 01.07.2017 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश के आलोक में **सी0ई0आर0टी0 कालेज ऑफ लॉ, ग्राम–डूंगरावली परगना व तहसील व जिला–मेरठ** को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **एल–एल0बी0 (तीन वर्षीय)** में उपरोक्त शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2016 के स्थान पर दिनांक 01.07.2017 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता** की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान एफ0डी0आर0 संस्थान के नाम होने, बंधक शब्द अंकित कराकर, प्राचार्य, शिक्षकों व प्रबन्ध समिति के अनुमोदन का प्रमाण पत्र व अग्निशमन यंत्र लगे होने का अद्यतन प्रमाण पत्र **विश्वविद्यालय को 15 दिन के अंदर उपलब्ध ~~उपलब्ध~~ करा दिया जायेगा** अन्यथा की स्थिति में संस्थान की सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सी0ई0आर0टी0 कालेज ऑफ लॉ, ग्राम–डूंगरावली परगना व तहसील व जिला–मेरठ।
3. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–2।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि संदर्भित प्रकरण को आगामी होने वाली मा0 कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल हेतु।

29/12/16
कुलसचिव

(475)

Scanned with CamScanner